



कार्यालय ज्ञाप

कुलाधिपति/राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या-59(1)/जी0एस0/शिक्षा/135-1-2019 दिनांक 03.04.2019 तथा दिनांक 27.08.2019 को हुई कार्यपरिषद की बैठक व कार्यवृत्त संख्या-240/ईसी-03/2018-19 दिनांक 03.09.2019 के अनुक्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011(यथासंशोधित) के अध्याय-06 की धारा 33(1) के अधीन निम्नांकित महाविद्यालय/संस्थान को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ-03 में वर्णित पाठ्यक्रमों में स्तम्भ संख्या-04 में अंकित अवधि तथा स्तम्भ-05 में अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए नवीन/अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि	प्रवेश क्षमता/सीट
एक	दो	तीन	चार	पांच
1	डी0बी0एस0 ग्रुप एच0बी0एल0 कैम्पस सेलाकुई, देहरादून।	बी0एससी0कृषि बी0एससी0 वानिकी एम0एससी0 एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी बी0काम0आनर्स बी0काम0 बी0बी0ए0 बी0सी0ए0 बी0ए0मास कम्युनिकेशन	2018-19	180 60 20 60 60 60 60

- 1.संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- 2.पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु मानक पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।
- 3.संस्थान द्वारा अपनी वेबसाईट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हतायें, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियां, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- 4.छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर दी गयी है। उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का समय-समय निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पायी जाती है अथा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.संस्थान/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

6. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, यदि निर्धारित शुल्क अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है, तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फ़ैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था फ़ैकल्टी नहीं पायी जाती है, अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है, तो जारी अनापत्ति सापेक्ष उक्त संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।
9. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
10. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्था सम्बद्धता स्वीकृति नहीं की जायेगी।

-sd-
(सुधीर बुड़ाकोटी)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, कुलाधिपति/राजभवन सचिवालय, देहरादून।
2. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
3. निजी सचिव, मा0 कुलपति।
4. कार्यालय प्रति।

+
(सुधीर बुड़ाकोटी)
कुलसचिव।